



केन्द्रीय विद्यालय संगठन  
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN**  
Under Ministry of Education, Govt. of India  
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head Quarters, New Delhi  
website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)  
E-mail : [jcp.kvs@gmail.com](mailto:jcp.kvs@gmail.com)  
दूरभाष /Tel : 91-11-26858565

18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली/ 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi 110 016

फा. 11-Adm2029(GCOR)/12/2023-Admn-I/(Computer No. 20087) | 261-63 दिनांक 05.04.2024  
उपायुक्त एवं निदेशक 08

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

समस्त क्षेत्रीय कार्यालय एवं आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

विषय: अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ/ केन्द्रीय विद्यालय प्रगतिशील शिक्षक संघ/ केन्द्रीय विद्यालय गैर-शैक्षिक कर्मचारी संघ के वार्षिक सदस्यता की कटौती के लिए सहमति संबंधी।

महोदया/महोदय,

आपका ध्यान शिक्षा संहिता, केन्द्रीय विद्यालय के परिशिष्ट (Appendix) XLII (A) के बिन्दु संख्या 3 के अंतर्गत किए गए प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार, Consent for deduction of annual subscription shall remain valid till altered or withdrawn. The revised option for deduction, if any, can be exercised only in the month of April each year to be effective form July of that year."

अतः उपरोक्त प्रावधानानुसार आगामी कार्रवाई हेतु अपने अधीनस्थ समस्त प्राचार्यों को आवश्यक निर्देश जारी करें कि वे अप्रैल, 2024 माह में संघों के सभी सदस्यों ने संशोधित विकल्प, यदि कोई हो, अथवा कोई नया सदस्य संघ की सदस्यता ग्रहण करना चाहता हो, तो उसे सुनिश्चित कर लें ताकि संघों के सदस्यों का वार्षिक अंशदान कटौती आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा माह जुलाई के वेतन बिल (Pay Bill) से की जा सके तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि शिक्षा संहिता (Education Code) के परिशिष्ट (Appendix) XLII (A) के बिन्दु संख्या 3 से 5 में दी गई शर्तों को पूरा करते हों।

भवदीय

(सोमित श्रीवास्तव)  
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष/महासचिव, अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ/केन्द्रीय विद्यालय प्रगतिशील शिक्षक संघ / केन्द्रीय विद्यालय गैर-शैक्षिक कर्मचारी संघ को सूचनार्थ।
2. उपायुक्त (ईडीपी) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) को केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।